FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0041 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/03/2024 21:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/03/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:59 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/03/2024 21:32:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 33 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** office joint director agricul, kherthal tijara

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ashok Kumar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** jagpal singh

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	nangliya, Kishangarbas, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	nangliya, Kishangarbas, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9119238331

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	sanjeev kumar		पिता:lal singh	1. luhadera,sekhpur ahir,खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 01-03-2024 को समय 05 पी.एम. पर श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ए.सी.बी. चौकी अलवर के समक्ष परिवादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जगपाल सिंह, जाति गुर्जर, उम्र 39 साल, निवासी नागलिया, तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल-तिजारा ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिकक्षक,ए.सी.बी. अलवर प्रथम विषयः- रिश्वत खोर कृर्षि अधिकारी श्री संजीव कुमार को रिश्वत लेते हुऐ रगो हथ पकडवाने हेतु:- महोदय निवदेन है कि मैं अशोक कुमार s/o श्री जगपाल सिंह ग्राम नांगलिया, तहसील किषनगढबास, खैरथल- तिजारा का निवासी हूं मैने किषनगढबास मै हेमकरण खाद बीज भण्डार के नाम से खाद बीज की दुकान का कार्यालय संयुक्त निदेषक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरथल-तिजारा से लाइसेंस जारी करवाने हेतु दिनांक 26/02/2024 को ई-मित्र से खाद, बीज, दवाई के लाईसेंस के आवेदन की सरकारी फिस आनलाईन करवाकर उक्त तीनो आवेदनों की हार्ड कापी मय दस्तावेज के उक्त कार्यालय में दिनांक 28.02.2024 को जमा करवाने गया तो वहा पर तैनात कृषि अधिकारी मिशन श्री संजीव कुमार मेरी उक्त तीनो फाईलो को जमा कर, मेरे से मेरे तीनो लाईसेन्स जारी करने की एवज मे 12000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं श्री संजीव कुमार कृषि अधिकारी को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुऐ ए.सी.बी. से पकडवाना चाहता हूँ कृप्या कानूनी कार्यवाही करने कृपा करे। ह. अशोक कुमार प्रार्थी अशोक कुमार ग्राम नागलिया, त. किशनगढबास, मो. 9119238331 जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री अशोक कुमार को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री अशोक कुमार ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैंने किशनगढबास में हेमकरण खाद -बीज भण्डार के नाम से खाद-बीज की दुकान का कार्यालय संयुक्त निदेषक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, खैरथल-तिजारा से लाईसेंस जारी करवाने हेतु दिनांक 26.02.2024 को ई-मित्र से खाद, कीटनाषक दवाई व बीज के लाईसेंस के आवेदन की सरकारी फीस ऑनलाईन करवाकर उक्त तीनों आवेदनों की हार्डकॉपी मय दस्तावेज के उक्त कार्यालय में दिनांक 28.02.2024 को जमा करवाने गया तो वहा पर तैनात कृषि अधिकारी मिशन श्री संजीव कुमार मेरी उक्त तीनों फाईले जमा कर, मेरे से मेरे तीनों लाईसेन्स जारी करने की एवज में 12 हजार रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हॅू। पूछताछ के दौरान परिवादी ने यह भी बताया कि उसकी, श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेषक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, खैरथल-तिजारा से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री अशोक कुमार ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति एवं ई-मित्र से ऑन लाईन करवाये गये एप्लीकेषन नं0 एफआर 2023-24 28174, एसएस 2023-24 32712 एवं आईएस/ 2023-24/27099 की प्रतियों पर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया। जिसको शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर समय 5.30 पी0एम0 पर श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उक्त परिवादी श्री अशोक कुमार से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए परिवादी द्वारा आज दिनांक 01.03.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्नक, कार्यवाही पुलिस एवं परिवादी श्री अशोक कुमार के सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देष दिये, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस मय परिवादी श्री अशोक कुमार को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं उक्त पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही पुलिस का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री अशोक कुमार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं कार्यवाही पुलिस में अंकित समस्त तथ्यों की ताईद की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री अशोक कुमार को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु अवगत करवाया गया। दिनांक 01.03.2024 को ही समय 05.45 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी श्री अशोक कुमार को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर रिश्वत की मांग का

सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि आज संदिग्ध आरोपी के पास उसके कार्यालय में खैरथल जायेगा, तब तक कार्यालय बन्द हो जायेगा और संदिग्ध आरोपी अपने कार्यालय में नही मिलेगा तथा दिनांक 02.03.2024 व 03.03.2024 को शनिवार -रविवार होने से राजकीय कार्यालय बन्द रहेगा इसलिए सोमवार दिनांक 04.03.2024 को कस्बा खैरथल में कृषि उपज मण्डी के पास आकर कोई ए0सी0बी0 का आदमी यदि उसे डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दे तो उस समय वह श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेषक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, खैरथल-तिजारा से कृषि उपज मण्डी खैरथल स्थित उसके सरकारी कार्यालय में बात करके रिश्वत मांग का सत्यापन करवा देगा। जिस पर मेरे द्वारा श्री महेश कुमार कानि0 462 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अशोक कुमार से परिचय करवाया जाकर उक्त दोनों के आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा परिवादी श्री अशोक कुमार को हिदायत दी गई कि वह जब श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी के पास उसके सरकारी कार्यालय पर जाने से पूर्व ए0सी0बी0 के श्री महेश कुमार कानि0 से सम्पर्क कर डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु जावें, साथ ही श्री महेश कुमार कानि0 को हिदायत दी गई वह दिनांक 04.03.2024 को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर डिजिटल वाईस रिकार्डर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को सुपुर्द करे। तत्पष्चात परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया।दिनांक 04.03.2024 को समय 09.30 ए.एम. पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसकी परिवादी श्री अशोक कुमार से वार्ता हुई है और उसने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा खैरथल में कृषि उपज मण्डी के पास बुलाया है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से ब्यूरों का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर, उसका खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर रिकॉर्ड वार्तालाप को मैमोरी कार्ड के फोल्डर नं.01 मे सेव करने हेतु सैटकर श्री महेश कुमार कानि0 462 को वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर निर्देशित किया कि वह परिवादी श्री अशोक कुमार से सम्पर्क कर उसके द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर परिवादी से मिले तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ संदिग्ध आरोपी कृषि अधिकारी के पास जाकर परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का एवं संदिग्ध आरोपी की पहचान कर देखने का प्रयास करे तथा बाद सत्यापन कार्यवाही परिवादी को हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आवे। श्री महेश कुमार कानि0 462 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के वास्ते मांग सत्यापन कार्यवाही बजानिब खैरथल, जिला खैरथल-तिजारा रवाना किया गया।दिनांक 04.03.2024 को समय 07.30 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 मय परिवादी श्री अशोक कुमार के ब्यूरों कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और श्री महेश कुमार कानि0 ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ताओ का डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पष्चात परिवादी श्री अशोक कुमार ने बताया कि आज समय करीब 12.50 पी0एम0 पर मैं, ए0सी0बी0 के श्री महेश कुमार कानि0 को कस्बा खैरथल में कृषि उपज मण्डी के पास मौजूद मिला, जहाँ से मैं व श्री महेश कुमार कानि0 रवाना होकर कृषि उपज मण्डी खैरथल में स्थित कार्यालय संयुक्त निदेषक, कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल- तिजारा के पास पहूँचे। जहाँ पर श्री महेश कुमार कानि0 ने अपने पास से ए0सी0बी0 का विभागीय टेप रिकार्डर चालू कर मुझे दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर कार्यालय संयुक्त निदेषक, कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल-तिजारा में गया, जहा पर मुझे श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मौजूद मिला। जिससे मैंने मेरे लाईसेंसों के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री संजीव कुमार कृषि अधिकारी ने मेरे तीनों लाईसेंस जारी करने व मेरी दुकान रजिस्ट्रेशन करने की एवज में 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग की और आधा घण्टे में मेरी दुकान पर पहुंचकर फिजीकल वेरिफिकेशन करने के लिये कहा। मैनें, मेरे व संदिग्ध आरोपी श्री संजीव कुमार कृषि अधिकारी के मध्य हुई सभी वार्तालाप को ए0सी0बी0 के वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं श्री महेश कुमार कानि0 के पास आया और रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं का टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया था। इसके बाद उक्त सभी तथ्य मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को बताये तथा मैं व श्री महेश कुमार कानि0 खैरथल से रवाना होकर किषनगढबास मेरी दुकान पर पहुंचे। इसके बाद उसी दिन 04.03.2024 को समय करीब 02.45 पी0एम0 पर श्री संजीव कुमार कृषि अधिकारी मेरी दुकान पर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर मैं व श्री महेश कुमार कानि0 मेरी दुकान के साईड में गये और श्री महेश कुमार कानि0 ने अपने पास से ब्यूरों का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर समय 02.46 पी0एम0 पर चालू कर मुझे दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर मेरी दुकान पर गया और मेरी दुकान पर श्री संजीव कुमार कृषि अधिकारी भी आ गया, जिसने मेरी दुकान का फिजीकल वेरीफिकेशन किया और मैंने मेरे लाईसेन्सों के सम्बन्ध में बात की तो उसने पहले पैसे देने के लिये कहा और पहले तो उसने रिश्वत के पैसे लेकर मुझे कल दिनांक 05.03.2024 को खैरथल मण्डी में आने के लिये कहा और उसके बाद उसने दुकान पर ही आकर लेने के लिये कहा और वह मेरी दुकान से चला गया। मेरे व संदिग्ध आरोपी श्री संजीव कुमार कृषि अधिकारी के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ए0सी0बी0 के टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं का डिजीटल वॉइस रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया था। इसके बाद मैं व श्री महेश

कुमार कानि0 किशनगढबास से रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय अलवर आ गये। पूछने पर श्री महेश कुमार कानि0 ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पष्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री संजीव कुमार कृषि अधिकारी के द्वारा, परिवादी श्री अशोक कुमार के खाद-बीज व कीटनाषक दवाई के लाईसेंस जारी करने की एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना तथा रिश्वत राशी 10 हजार रूपये दिनांक 05.03.2024 को देने के लिये परिवादी से कहना पाया गया। तत्पष्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान राजकर्मी की आवश्यकता होने के कारण उसी दिन समय 09.15 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को पत्र जारी कर दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रैप कार्यवाही हेतु पाबन्द कर दिनांक 05.03.2024 को प्रातः 08.30 ए.एम. पर ब्यूरों कार्यालय में भिजवाने हेतु लिखा गया तथा समय 09.30 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार को दिनांक 05.03.2024 को संदिग्ध आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशी 10 हजार रूपये अपने साथ लेकर प्रातः समय 08.30 ए.एम. पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया।दिनांक 05.03.2024 को समय 08.30 ए.एम. पर पूर्व का पाबन्दशुदा परिवादी श्री अशोक कुमार ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया, और पूछने पर संदिग्ध आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10 हजार रू0 अपने साथ लेकर आना तथा संदिग्ध आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी द्वारा उसे रिश्वत की राशी अपने कार्यालय में लेकर बुलाने के लिए बताया है। आमदा परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 08.35 ए.एम. पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर से तलबषुदा गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री मोहित अवस्थी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री अशोक कुमार का परिचय उक्त दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री अशोक कुमार द्वारा दिनांक 01.03.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशी के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया तथा दिनांक 04.03.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताऐं दोनों गवाहान को सुनाई गई। दिनांक 05.03.2024 को समय 09.45 ए.एम. पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अशोक कुमार से संदिग्ध आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशी पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये निकाल कर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बरों का मिलान सही होना पाया गया। श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10,000 रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री अशोक कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे नम्बरी 10,000 रूपये के नोटों को श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री अशोक कुमार की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। प्लास्टिक के एक फ्रेष डिस्पोजल ग्लास को लेकर उसमें परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्षित कर उसके उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे समझाईश की गई। दृष्टांत हेतु प्रयुक्त उक्त ग्लास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अशोक कुमार को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कॉल कर टे^{a}प पार्टी को गोपनीय ईशारा करने एवं इस बाबत गवाहान को भी आवष्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयाँ मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। तत्पष्चात परिवादी को रिश्वत राशी लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 04.03.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड

Sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर मैमोरी कार्ड के फोल्डर नं.03 मे वार्तालाप सेव करने हेतु सैटकर वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सहित परिवादी की पेन्ट की बांयी जेब में रखकर सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को आवश्यक हिदायत दी गई कि परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों के उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके ही रवाना करे। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर दिनांक 05.03.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 05.03.2024 को समय 10.30 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री पुष्पेन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री मोहित अवस्थी, कनिष्ठ सहायक एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्व नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भास्कर हैड कानि0 59, श्री हरीष चन्द शर्मा कानि0 503, सुण्डाराम हैड कानि0 02, महेश कुमार कानि0 462, रामजीत सिंह कानि0 206 मय परिवादी श्री अशोक कुमार मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब खैरथल, जिला खैरथल-तिजारा के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 11.40 ए.एम. पर पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कृषि उपज मण्डी खैरथल स्थित कार्यालय संयुक्त निदेषक, कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल-तिजारा के पास पहुंचा, जहां पर दोनों प्राईवेट वाहनों को मण्डी यार्ड के बने रोड पर साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी श्री अशोक कुमार का टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी के पास रिश्वत राशी देने के लिए कार्यालय संयुक्त निदेषक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, खैरथल - तिजारा पर जाने के लिये रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के परिवादी पर निगरानी रखते हुये उक्त कार्यालय के आस-पास मौका अनुसार अपनी-अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। दिनांक 05.03.2024 को समय 11.59 ए.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार ने कृषि उपज मण्डी परिसर स्थित कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल-तिजारा से बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतबीरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उक्त स्थान पर पहुँचा। जहाँ पर परिवादी एक अन्य नवयुवक के साथ खडा मिला था। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त किया एवं उक्त रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्समय परिवादी ने अपने पास खडे नवयुवक की तरफ ईशारा कर बताया की यही श्री संजीव कुमार, सहायक कृषि अधिकारी है। जिन्हाने अभी - अभी मेरे से मेरे खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई विक्रय की दुकान का लाइसेंस जारी करने की एवज मे अपने स्वयं के लिये 10,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दांये हाथ से ग्रहण कर उक्त राशि को बिना गिने ही अपनी पहनी हुई जाकिट की अन्दर की बांयी बगल की जेब में रख लिये। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमराहियान का परिचय देेकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करातें हुये उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति घबरा गया और चुप हो गया। जिस पर उक्त व्यक्ति को पुनः तसल्ली देकर उससे उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री संजीव कुमार पुत्र श्री लाल सिंह, जाति-अहीर, निवासी ग्राम लुहादेरा, पुलिस थाना शेखपुर अहीर, जिला खैरथल -तिजारा हाल कृषि अधिकारी मिशन कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल-तिजारा होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल-तिजारा को परिवादी श्री अशोक कुमार से दिनांक 4.3.2024 को मांगी गई एवं आज दिनांक 5.3.2024 को अभी माँगकर प्राप्त की गई रिश्वत राशि 10,000 रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि श्री अशोक कुमार ने खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई विक्रय की दुकान का लाइसेंस लेने हेतु कल दिनांक 4.3.2024 को तीन पत्रावली मुझे दी थी। जिस पर मेरे द्वारा अशोक कुमार की दुकान का कल दिनांक 4.3.2024 को शाम के समय मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया था। आज यह अभी कुछ देर पहले मेरे पास कार्यालय के अन्दर आया और मुझे कार्यालय से बाहर लेकर गया और इसने अपनी मर्जी से मुझे कुछ रूपये दिये। जिनको मैने अपने दाहिने हाथ से लेकर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई जैकिट के अन्दर की बांयी बगल की जेब मे रख लिये है। कितने रूपये है इस बारे मे मुझे जानकारी नही है। उक्त राशि अभी मेरी पहनी हुई जैकिट की अन्दर की बांयी जेब मे ही रखी हुई है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री संजीव कुमार को यथावत अवस्था में हमराह लेकर मय परिवादी, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ सहित आरोपी को उसके कार्यालय के अन्दर ले जाकर एक कक्ष में बैठाया। कार्यालय मे उपस्थित आरोपी श्री संजीव कुमार के सक्षम अधिकारी श्री विजय सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार में रखे पानी के कैम्पर से एक साफ प्लास्टिक की बोतल मे श्री भास्कर हैड कानि. 59 से साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो फ्रेष व साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर हाजरीन के समक्ष दोनो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को उक्त बोतल के साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी

डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त गिलासों के घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने गिलासों के घोल को रंगहीन होना बताया। उक्त गिलासों में से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1,L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल मं आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1,R-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त उपयोग लिये गये दोनों प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी पहनी हुई जैकिट की अन्दर की बांयी साईड की जेब में होना बताया इस पर गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार से आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन द्वारा बताये अनुसार उसके शरीर पर पहनी हुई जैकिट की अन्दर की बांयी बगल की जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त गवाह ने उक्त जेब से 500-500 रूपये के फोल्डेड कुछ रूपये निकाले। जिनको गिनने एवं बरामदशुदा नोटो की पहचान फर्द सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटों के नम्बरो से करने हेतु दोनो गवाहान को कहा गया तो गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार ने बरामदशुदा नोटो को गिनकर उनमे 500-500 रूपयें के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये होना तथा उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान ने फर्द सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटों के नम्बरो से हु ब हू होना बताया। बरामदशुदा 10 हजार रूपये की रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा 10,000 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः मिलान करवाकर सही होना मानते हुए नोटो के साथ एक कागज की चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित चिट एवं नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को मार्क TM से चिन्हित एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स मे से एक नया साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास मे साफ पानी भरकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाया गया एवं उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल मे आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन के शरीर पर पहनी हुई ग्रे रंग की जैकिट को उतरवाया जाकर उसकी अन्दर की बांयी साईड की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उस जेब को उलटवाकर घोल के गिलास मे डूबो कर उसका धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क J-1, J-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उपयोग लिये गये उक्त प्लास्टिक गिलास को नष्ट करवाया गया । आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन की उक्त ग्रे रंग की जैकिट की तलाशी गवाह श्री पुष्पेन्द्र कुमार से लिवाया गया तो उसमें उक्त रिश्वत राशि के अलावा अन्य कोई राशि, दस्तावेज, वस्तु इत्यादि बरामद नही हुई। जैकिट की अन्दर की बांयी साईड की जेब को अच्छी तरह से सुखाकर उस जेब के अन्दर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त ग्रे रंग की जैकिट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उस थैली पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील कर मार्क J से चिन्हित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमें रिश्वत राशि लेन-देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को उसी अवस्था में बंद कर सुरक्षित रूप से ट्रेप बॉक्स में रखा गया। परिवादी अशोक कुमार एवं आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन को अलग - अलग एवं आमने सामने करके आपस मे कोई रूपयों का पुराना उधार का लेन देन तो बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने या कोई राजस्व वसूली बकाया होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई राजस्व वसूली बकाया होने से स्पष्ट मना किया। आरोपी श्री संजीव कुमार ने पूछने पर यह बताया कि उक्त लाईसेंसो हेतु राज्य सरकार कृषि विभाग द्वारा निर्धारित की हुई राजकीय शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ ही ऑन लाईन जमा होती है। नकद राशि कार्यालय मे जमा नही की जाती। उक्त तीनों पत्रावलियों की राजकीय शुल्क राशि आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन के साथ ही जमा करवाई जा चुकी है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.30 पी.एम. पर आरोपी श्री संजीव कुमार द्वारा अपने कब्जे की अलमारी से निकालकर पेश की गई परिवादी श्री अशोक कुमार की दुकान

हेमकरण खाद-बीज भण्डार से सम्बन्धित खाद, बीज एवं कीटनाऱशक दवाई के लाईसेंस की पत्रावलियों की सत्यापित छायाप्रतियों को जरिये फर्द जब्त किया गया। परिवादी श्री अशोक कुमार की निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्षा मौका एवं हालात मौका कसीद कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के संलग्न पत्रावली किया गया। दिनांक 05.03.2024 को समय 05.45 पी.एम. पर आरोपी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री लाल सिंह, जाति अहीर, उम्र 36 साल, निवासी लुहादेरा, तहसील तिजारा, पुलिस थाना शेखपुर अहीर, जिला खैरथल -तिजारा, हाल कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, खैरथल -तिजारा को नियमानुसार हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर समय 06.25 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक जरिये प्राईवेट वाहनों से मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मय हमराही ए0सी0बी0 स्टाफ के मय टे^ap बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय टे^ap कार्यवाही में जब्त सीलशुदा वजह सबूत के कार्यालय संयुक्त निदेषक, कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल - तिजारा से बाद सम्पन्न कार्यवाही के ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर के लिये रवाना होकर समय 07.00 पी.एम. पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को ए0सी0बी0 स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया तथा कार्यवाही में जब्त/सीलषुदा वजह सबूतों को टे^ap बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर को कार्यालय कक्ष में रखवाया गया तथा दोनों गवाहान एवं परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पष्चात गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण रात्रि सुरक्षार्थ हवालात में बन्द करवाने हेतु पुलिस थाना षिवाजी पार्क अलवर को सुपुर्द करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.03.2024 को समय 09.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री अशोक कुमार एवं आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी के मध्य दिनांक 04.03.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को टे^ap बॉक्स से निकाला जाकर उसे विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर टेबल स्पीकर के माध्यम से सुन एवं सुनाकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों सीडीयों पर मार्क ''ए-1'', मार्क ''ए-2'' एवं मार्क ''ए-3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''ए-1'' व मार्क ''ए-2'' को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''ए-1'' व मार्क ''ए-2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा सीडी मार्क ''ए-3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32GB के फोल्डर नं0 01 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। तत्पश्चात दिनांक 06.03.2024 को समय 03.30 ए.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार एवं आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी के मध्य दिनांक 05.03.2024 को रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों सीडीयों पर मार्क ''बी-1'', मार्क ''बी-2'' एवं मार्क '' बी-3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''बी-1'' व मार्क ''बी-2'' को पृथक - पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''बी-1'' व मार्क ''बी-2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा सीडी मार्क ''बी-3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री अशोक कुमार द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी की आवाज की पहचान की गई। उपरोक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 04.03.2024 को परिवादी व आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता एवं फोल्डर नं0 3 में दिनांक 05.03.2024 को परिवादी व आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ता रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32GB को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। जिसकी पृथक-पृथक फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात बाद कार्यवाही पूर्ण दिनांक

06.03.2024 को समय 7.00 ए.एम. पर उक्त ट्रैप कार्यवाही में जब्त किये गये समस्त आर्टीकल्स को सीलमुहर करने व फर्दात पर नमूनाषील अंकित करने के लिए प्रयोग में ली गई, कार्यालय की नमूना ब्राशसील नं. 52 पीतल को दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर से ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में तुडवाकर नष्ट करवाई जाकर समय 07.25 ए.एम. पर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्यवाही शेष नही होने से बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया एवं समय 07.30 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यवाही में जब्त/सीलशुदा बजह सबूतों को मालखाना प्रभारी श्री हरीष चन्द कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री लाल सिंह, जाति - अहीर, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम लुहादेरा, पुलिस थाना शेखपुर अहीर, जिला खैरथल - तिजारा हाल कृषि अधिकारी मिशन कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल - तिजारा को परिवादी श्री अशोक कुमार से उसके वैध कार्य खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई विक्रय की दुकान का लाईसेंस जारी करवाने की एवज मे अवैध रूप से अपने स्वंय के लिये 10 हजार.रूपये की रिश्वती राशी मांगकर ग्रहण करना एवं परिवादी से प्राप्त की गई 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि दौराने ट्रैप कार्यवाही उक्त आरोपी श्री संजीव कुमार की पहनी हुई ग्रे रंग की जैकिट की अन्दर की बांयी साईड की जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री संजीव कुमार, कृषि अधिकारी मिशन कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद खैरथल-तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री लाल सिंह, जाति अहीर, उम्र 36 साल, निवासी लुहादेरा, तहसील तिजारा, पुलिस थाना शेखपुर अहीर, जिला खैरथल-तिजारा, हाल कृषि अधिकारी मिशन कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, खैरथल-तिजारा के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित की जावेगी। भवदीय,(प्रेमचन्द) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर।.....कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचंद, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अरोपी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री लाल सिह , निवासी ग्राम लुहादेरा थाना शेखपुर अहीर जिला खैरथल तिजारा हाल कृषि अधिकारी मिशन कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरथल तिजारा के विरूध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 41/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर , पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दोैसा को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता की गई। उक्त की रोजनामचाआम पर 525 रपट अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक पुलिस-मुख्यालय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांकः- 195-198 दिनांक 06-03-2024 प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है। 1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2- प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यान जयपुर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, द्वितीय जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर। पुलिस अधीक्षक पुलिस-मुख्यालय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NAVAL KISHORE MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/03/2024 21:34:53

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/12/1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)